



2026:AHC:61485

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन पत्र संख्या - 9835 वर्ष 2026

बलिस्टर @ प्रवीण कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : अनुज बाजपेई

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता(जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति

1. श्री अनुज बाजपेई, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री डी.पी.एस. चौहान, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए) राज्य की ओर से उपस्थित, को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन पत्र, परिवाद वाद संख्या 1441 वर्ष 2013, जो मुकदमा अपराध संख्या 932 वर्ष 2010, धारा 302 भा.द.सं., थाना पोवायन, जिला शाहजहाँपुर से उत्पन्न है, में विचारण के लम्बित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रारम्भ में दिनांक 26.06.2010 को घटित घटना के लिए दिनांक 30.06.2010 को धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 20.08.2010 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पुलिस ने, विवेचना के पश्चात्, वर्ष 2011 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। तत्पश्चात् एक विरोध प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया और तदुपरान्त अंतिम रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत की गई, इसलिए विरोध प्रार्थनापत्र को परिवाद वाद के रूप में पंजीकृत किया गया। यह आगे निवेदन किया गया है कि आवेदक सहित अन्य सह-अभियुक्तों को दिनांक 18.04.2015 के आदेश द्वारा तलब किया गया। इसलिए आवेदक ने तलबी आदेश को धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसका निस्तारण वर्ष 2015 में आवेदक को अधोस्तरीय न्यायालय के समक्ष उन्मोचन आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ किया गया। आवेदक द्वारा दाखिल उन्मोचन आवेदन दिनांक 25.02.2025 को अस्वीकार किया गया। तत्पश्चात् आवेदक ने सी.एम. अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या 9810 वर्ष 2025 प्रस्तुत किया जो दिनांक 26.11.2025 को भी निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् आवेदक ने अधोस्तरीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जो भी अस्वीकार कर दिया गया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व फाँसी थी और कोई अन्य मृत्युपूर्व चोट नहीं थी जो यह दर्शाए कि किसी ने जबरदस्ती मृतक को फाँसी लगाई। प्रश्नगत घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और तब भी आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है, यद्यपि उसके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। यह आगे निवेदन किया गया है कि सह-अभियुक्त गोकुल को पहले ही इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन पत्र संख्या 12504 वर्ष 2022 में दिनांक 01.09.2022 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए आवेदक, समान स्थिति में होने के कारण, समता के आधार पर भी जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। यह आगे निवेदन किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि चूँकि वर्तमान मामला परिवाद वाद है, इसलिए न्यायिक अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और दिनांक 09.03.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत दी जाए तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) ने जमानत की प्रार्थना का दृढ़तापूर्वक विरोध किया, किन्तु वे उपर्युक्त तथ्यों को खण्डित नहीं कर सके।

6. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने के पश्चात् और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थिति में सह-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता एवं जेलों की अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लम्बितता को देखते हुए और उच्चतम न्यायालय द्वारा **कपिल वधावान बनाम केन्द्रीय विवेचना ब्यूरो, 2025 एससीसी आनलाइन एससी 3038** मामले में दिए गए निर्णय के आदेशानुसार तथा मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उचित है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

7. उपरोक्त वर्णित अपराध में संलिप्त आवेदक - **बलिस्टर @ प्रवीण कुमार** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, व्यक्तिगत मुचलका और उसी धनराशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए :-

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का प्रकटन करने से निरुत्साहित हो या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
 - ii. आवेदक विचारण/विवेचना में ईमानदारी से सहयोग करेगा और कोई स्थगन नहीं माँगेगा।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में संलिप्त नहीं होगा।
 - iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।
 - v. आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर अधोस्तरीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. पहचान, स्थिति एवं आवास का प्रमाण-पत्र आवेदक एवं जमानतदारों का मुचलका स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए इस आदेश की कम्प्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचनपत्र के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिन के भीतर दाखिल की जाएगी।
11. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।
12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल द्वारा, न्यायमूर्ति जमानत नीति रणनीति, संदर्भ में: स्व-प्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021, दिनांक 31.01.2023, (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित, में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रेषित करे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

25 मार्च, 2026

एस.ए.



Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।